समाजशास्त्र स्नातक

ग्रामीण समाजशास्त्र (प्रतिष्ठा) Paper - VI

Note
21/5/20

From -
Dr. Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology
S.N.S.K. College
(Sasaram)

ग्रामीण विकास कार्यक्रम
(Rural Development Programme)

कार्यक्रम का अर्थ - सरकार ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम गाँवों में चला रही है। सभी कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि ग्रामीण समाज के सामाजिक - आर्थिक ढांचे को समय की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जाता है। इस दृष्टि से सभी ग्रामीण - कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अपना महत्व है और सभी ने विकास कार्यों में अहम भूमिका अभिनीत की है। चाहे वह सामुदायिक विकास योजना, सहकारी - समितियाँ सर्वोदय कार्यक्रम, पंचायत, भूदान आन्दोलन हो। ये सभी कार्यक्रम ग्रामीण समाज की बहुआयामी समस्याओं के समाधान हेतु कार्यरत हैं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कड़ी में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण समाज के अछूते प्राकृतिक सम्पदा तथा मानवशक्ति का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए करता है। वास्तव में इन कार्यक्रमों ने उस समस्त कार्यक्रमों को अपने में समाहित कर लिया है जो व्यवस्थित ढंग से विकास कार्य में कार्यरत नहीं थे। इस कार्यक्रम का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की पर्याप्त सहायता करना और उनकी आय को इस सीमा तक बढ़ाना है कि वे सदैव के लिए गरीबी रेखा से ऊपर हो सके।

→ **कार्यक्रम संबंधी नीति** — सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार का कार्य राज्यों का दिशा - निर्देशन करना, नीति निर्धारण करना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण एवं शोध संबंधी कार्यों में सहायता करना और महत्वपूर्ण कार्यों में वित्तीय सहायता करना।

→ **कार्यक्रम का आरम्भ** — समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संकल्पना का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1976-77 के केन्द्रीय बजट में रखा गया और इसे कुछ सीमा तक लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1980 से यह कार्यक्रम देश के समस्त विकास खण्डों में लागू किया गया। — ग्रामीण निर्धनों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली यह देश - की पहली और सबसे विशाल योजना है।

→ **कार्यक्रम का उद्देश्य** — वास्तव में एकीकृत या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि विकास का लाभ उन वर्गों को प्राप्त हो सके जो शताब्दियों से आर्थिक अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं और दरिद्रता के अभिशाप से ग्रसित हैं।

Scanned by TapScanner

इस योजना के द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करना है। इसी के साथ ही ग्रामीण गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम में कृषि, डेरी व्यवस्था, मछली व्यवसाय, खादी ग्रामीण, लघु उद्योग, दस्तकारी, शिल्पकारी, लघु व्यवस्था और नौकरियां आती है।

गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर को उठाने के भारतीय सरकार ने बीस कदम उठाये हैं। जिन परिवारों की 4,800 रुपये (अब 6,400 रुपया) से कम वार्षिक आय है जिन्हे सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता देती है। इस प्रकार के परिवारों मे से एक व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान करती है। उन्हे आर्थिक सहायता देकर अपना कार्य करने की प्रेरणा देती है। लगभग 35 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस देश में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसमे से भी 30 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण समाज मे रहते हैं। इस योजना में परिवार को एक इकाई के रूप मे लिया जाता है। इस कार्यक्रम को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता दी गई है।

इस योजना मे कुछ और कार्यक्रम भी सम्मिलित कर लिए गये हैं जैसे — (1) ग्रामीण मे कुछ और कार्यक्रम

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना —

(3) ग्रामीण क्षेत्रो की महिलाओ और बच्चो का विकास

(4) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिको को रोजगार देने की गारन्टी

(5) काम के बदले अनाज का कार्यक्रम

(6) कुशलता विकास कार्यक्रम

→ यह कार्यक्रम जिला ग्राम विकास ऐजेन्सी (D.R.D.A) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव के अध्यक्षता मे एक समन्वय समिति इसके लिए सभी पहलुओ की समीक्षा करती है। इसके मार्गदर्शन के लिए एक प्रबन्ध समिति होती है। जिसमे जनता के प्रतिनिधि जैसे सांसद, विधानसभा और जिला परिषद के सदस्य, जिला विकास विभागो, विकास बैंक) और अग्रणी बैंक के अध्यक्ष, तथा स्त्रियो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि) शामिल होते हैं। केन्द्रीय स्तर पर ग्राम विकास विभाग इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन, नीति-निर्धारण और नियन्त्रण के लिए इसी तरह जिम्मेदार है।

From —
Dr. Arun Kumar
Reader
Dept of Sociology
Shershah College
Sasaram.

Scanned by TapScanner